

**FORM NO.III**

फर्द अहकाम


(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर

श्रीमती नसीम वानो बनाम श्री जान मोहम्मद व संघ

किस्म मुकदमा

मु0न0 140 सन 2018

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम कीतामील में जारी हुए |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 21-08-19   | <p>वकील वादी उपस्थित। वकील प्रार्थी को पूर्व तारीख पेशी पर प्रतिवादी संख्या 2 से 9 के अधिवक्ता ने पूर्व में किए गए कथनों के आधार पर कि वे उनकी ओर से पैरवी नहीं कर रहे हैं। अधिवक्ता वादी को प्रतिवादी संख्या 2 से 9 के सम्मन/नोटिस तलवाना प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया गया था ताकि प्रतिवादीगण संख्या 2 से 9 के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं हो एवं पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर मिल सके। उक्त आदेश बाबत अधिवक्ता वादी ने यह भी कथन किए कि प्रतिवादी संख्या 2 से 9 के सम्मन/नोटिस प्रस्तुत किए जाने का कोई विधिक प्रावधान नहीं है, इस बाबत अधिवक्ता वादी को ऐसा कोई लॉ (विधिक नियम) प्रस्तुत किये जाने बाबत एक अवसर पुनः दिया गया। उसके बावजूद अधिवक्ता वादी द्वारा कानूनी अधिनियम/नियम प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा ना ही प्रतिवादी संख्या 2 से 9 के सम्मन/नोटिस पेश किये। बार-बार आदेशित किए जाने के बावजूद भी कोई कानून भी प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है एवं ना ही सम्मन/नोटिस प्रस्तुत किये जा रहे हैं एवं न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं की जा रही है। ऐसी स्थिति में यह प्रकरण अदम तकमील में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"><br/>(जसमोहसिंह संघु)<br/>उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर<br/>ब्यावर</p> |                                                     |

श्रीमती नसीम बीगम बनाम श्री जॉन मैट्टम व अन्य

किस्म मुकदमा

मु0न0 140

सन 2019

अज अदालत  
श्रीमती  
किस्म मुक  
तारीख

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम कीतागील में जारी हुए |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|

24-8-19

वकील वारी उपन वकील वारी नॉन प्रिक्स में उतिवारी स्. 2 से 9 तक 11 के समान तेल काना पेश करे जो पेश होने पर जारी हो। पत्रावली दिनांक 05-8-19 को पेश हो।

(जसवीरसिंह संघ)

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर ब्यावर

5/8/19

अने ग्वानीय बाग ऐमो. ने कार्य स्थगित रखा है। सं. ओ. सा. .... पधारं 1। मिसल

नियत कार्यवाही हेतु दिनांक 13/8/19 पंश हो।

13-08-19

नसीम बीगम

वकील वारी उपस्थित। वकील वारी ने कथन दिए कि उति. स्. 2 से 9 के श्रीमती वकील के लिए गट मौखिक कथन कि उति. स्. 2 से 9 की मोरसे पैरवी नहीं कर रहे हैं जिसके तहत उतिवारी गण व उनके श्रीमती के विकल्पक तरफा कार्यवाही की जावे। पत्रावली का प्रकरोपन किया गया जो पाया कि डि. 30-10-18 को वकील उति. स्. 2 से 9 की बोकहा उजापति ने मौखिक कथन दिए कि वे उतिवारी स्. 2 से 9 व 11 की मोर से पैरवी नहीं करेंगे। यह प्र उल्लेखनीय है कि श्रीमती रोकवा उजापति उति. स्. 11 की मोर से श्रीमती निपुलत नहीं है परन्तु उति. स्. 2 से 9 की मोर से पैरवी नहीं किये जाने के कथन दिए जाने से प्रकरोपन को सुनना के नोटिस जारी किया जाना हा/अस्पष्ट उपकरण भसकतमि एव अन्य बनाम जोमिनरसिंह व अन्य में भी यह स्पष्ट किया गया है कि श्रीमती की उतिवारी गण की उति मनरेखी का उक्तान प्रसंग को दिया जाना - प्रायोजित नहीं है। कतः उति. स्. 2 से 9 के नोटिस वकील वारी पेश करे जो पेश होने पर जारी हो। पत्रा. डि. 01-8-19 को पेश हो।

(जसवीरसिंह संघ)

